न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 75/2020 (2020/00269)

छोटू पुत्र भूरा जाति जाट निवासी सरसड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

1. श्री हनुमान वकील- प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार- तहसीलदार केकड़ी

आदेश

दिनांक 23.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सरसड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2073-76 मे खसरा नंबर 490 रकबा 0.22 है0 किस्म चाही 1,जाव 1,वाकै ग्राम सरसड़ी मे स्थित हे जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। इस आराजी मे आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता खसरा नंबर 473 सरकारी आम रास्ते मे से होकर खसरा नंबर 817 रकबा 0.04 हैक्टर गै0मु0 मे स्थित है तथा उक्त आराजी खसरा नंबर 817 राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे सरकारी भूमि है,मे से प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी मे आने जाने हेतु मौजूद है। अप्रार्थी जो कि लैण्ड लोर्ड होने के कारण प्रार्थी को दिनांक 20.08.2020 से ही उक्त आराजी को अन्य सरकारी प्रयोजन कार्य मे लेने बाबत् कहते हुए उक्त कदीमी रास्ते को बंद करते हुए रास्ते मे से होकर प्रार्थी को आने जाने हेतु मना किया इससे प्रार्थी को आराजी को काश्त करने के लिए आने जाने मे बाधा उत्पन्न होगी। अतः प्रार्थी को खसरा नंबर 817 सरकारी भूमि मे से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिया जावे। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर अदा करने को तैयार व तत्पर है। खर्चा प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अप्रार्थी से दिलाया जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने जवाव व मौका रिपोर्ट उनके कार्यालय के पत्र कमांक/भू.अ./2020/1783 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा प्रस्तुत की। जिसके अनुसार ग्राम सरसडी के खसरा नंबर 490 रकबा 0.22 हैक्ट.प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थी वर्तमान मे स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 473 के पश्चात खसरा नंबर 486 एवं 1308/490 की मेड़ पर से होकर आवागमन कर रहा है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 473 मे उपलब्ध है। खसरा नंबर 473 के पश्चात सिवायचक खसरा नंबर 487 रकबा 0.04 हैक्ट. किस्म गुमकिन बाड़ा मे से रास्ता दिया जाना सुविधाजनक रहेगा। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 817 मे से रास्ता चाहा गया है,जो प्रार्थी के खेत से 500 मीटर दूर है। बिन्दु संख्या [illegible] रास्ता दिया जाना सुविधाजनक रहेगा। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अलावा सुवि[illegible]नक [illegible]ता खसरा नंबर 487 मे है। प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 10.5 मीटर [illegible] 47 [illegible] मीटर भूमि प्रस्तावित रास्ते के लिए दी जानी है। डी0एल0सी0दर [illegible] रूपयें प्रति हैक्ट.की दु[illegible] से प्रतिकर राशि 5239/-रूपये बनती है। अतः सिवाय[illegible] भूमि मे से रास्ता प्रस्[illegible] किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:02:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्र.सं.75/20 (2020/00269)
छोटू पुत्र भूरा बनाम राज0सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राज0का.अधि.
बादेश दिनांक 23.09.2021

जवाब सरकार व मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पक्षकारान के अभिभाषक व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने बहस प्रारंभ करते हुए प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दौहराया साथ ही तहसीलदार केकड़ी द्धारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की तथा प्रतिकर के रूप मे रास्ते मे आने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर से दुगनी राशि संबंधित पक्षकारान को अदा करने हेतु सहमति जाहिर की। पैरोकार सरकार द्धारा भी तहसीलदार केकड़ी द्धारा मौका रिपोर्ट मे दर्शाये अनुसार रास्ता दिया जाने मे सहमति जाहिर की।

वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम सरसड़ी के खसरा नंबर 473 जो स्वीकृत रास्ता है। इसके पश्चात सिवायचक खसरा नंबर 487 रकबा 0.04 किस्म गै.मु.बाड़ा मे से लंबाई 10.5 मीटर गुणा चौड़ाई 4.7 मीटर कुल 50 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिए दी जाती हैं। डी0एल0सी0 दर 523908/–रूपये प्रति हैक्ट.की दुगनी दर से प्रतिकर राशि 5239/–रू प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी को भुगतान करे। तहसीदार केकड़ी उक्त रास्ते की भूमि को सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाकर नक्शे मे तरमीम किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:02:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner